

उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग-1
संख्या : 244 / 35-1-12 दिनांक 28 फरवरी, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है, कि प्रदेश में बायो इनर्जी सेक्टर के सर्वांगीण एवं समन्वित विकास हेतु एतदद्वारा एक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
2. सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
3. सचिव/प्रमुख सचिव, अपरम्परागत ऊर्जा	सदस्य
4. सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज	सदस्य
5. सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान	सदस्य
6. सचिव/प्रमुख सचिव, वन	सदस्य
7. सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी	सदस्य
8. सचिव/प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	सदस्य
9. सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
10. सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बायोटेक पार्क, लखनऊ	सदस्य
12. निदेशक, (नियोजन एवं बायोफ्यूल्स विकास) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिंग, नई दिल्ली	सदस्य
13. निदेशक, कारपोरेट अफेयर्स, बी०पी०सी०एल०, मुम्बई	सदस्य
14. महाप्रबन्धक, (शोध एवं विकास तथा गुणवत्ता नियंत्रण) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिंग, मुम्बई	सदस्य
15. प्रतिनिधि, बायो डीजल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई	सदस्य
16. अध्यक्ष आई०ओ०सी०-रूचि सोया, नई दिल्ली	सदस्य
17. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारत रिच्यूएबल इनर्जी लिंग नोयडा	सदस्य
18. राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल	सदस्य सचिव

ज्ञातव्य है कि उक्त स्टीयरिंग समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा:-

- (क)- प्रदेश में बायो इनर्जी सेक्टर का सर्वांगीण एवं समन्वित विकास।
- (ख)- बायो इनर्जी सेक्टर में आवश्यक लिंकेजेज सुनिश्चित करना।
- (ग)- बायो इनर्जी सेक्टर में संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे:- बायोगैस प्लान्ट्स की स्थापना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कृषि अपशिष्ट आधारित बायोगैस उत्पादन कार्यक्रम, मनरेगा पोषित जीवन ज्योति परियोजना इत्यादि का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- (घ)- जेट्रोफा/करंज के उत्पाद-बीज के मूल्यों का निर्धारण नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-578 / 35-1-2008, दिनांक 25 मार्च, 2008 में विहित व्यवस्थानुसार।

(च)– बायो एथेनाल के उत्पादन का प्रोत्साहन।

प्रश्नगत समिति की बैठकें त्रैमासिक होंगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में बैठकें कभी भी बुलाई जा सकेंगी।

अनूप मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या : 244 (1) / 35-1-2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री।
 - निजी सचिव, मुख्य सचिव।
 - स्टाफ अफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त।
 - निजी सचिव, प्रमुख सचिव नियोजन के उपयोगार्थ।
 - निजी सचिव, सचिव नियोजन विभाग के उपयोगार्थ।
 - समस्त प्रभागाध्यक्ष, (नवीन प्रभाग), नियोजन विभाग।
 - समिति के सभी सदस्य।
 - राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल।
 - राज्य योजना आयोग, अनुभाग-1 एवं 2

(रजनीता गुप्ता)
सचिव